

पटना में दिनांक-17 जुलाई, 2019 बुधवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 (बख्तियारपुर-खगड़िया) के 4 लेनिंग परियोजना हेतु पटना जिलान्तर्गत अंचल-मोकामा के मौजा-कसहा दियारा उर्फ मरौंची दियारा, थाना सं०-10, खेसरा सं०-18 में प्रस्तावित कुल रकबा-8.48 हे०, अर्थात् 20.9546 एकड़ असर्वेक्षित खासमहाल भूमि "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | End to End Computerization के प्रथम चरण में पी.एम.यू. के गठन हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि 45.60 लाख रुपये वार्षिक को संशोधित करते हुए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के द्वारा आउटसोर्सिंग पर उपलब्ध कराये जाने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के सेवा के लिए कुल 84.92 लाख (चौरासी लाख बानवे हजार) रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

भवन निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | प्रस्तावित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

भवन निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं०-01, सम्प्रति सहायक अभियंता में पदावनत एवं निलंबित के विरुद्ध बिना अनुमति के उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने एवं सरकारी कार्यों के सम्यक निष्पादन में बाधक बनने के गंभीर आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-5366(भ) दिनांक-01.06.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों से विभागीय समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप को गंभीर प्रकृति का पाये जाने के फलस्वरूप "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दंड की स्वीकृति। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

7. विभागीय मुख्यालय, विभिन्न विभागों, जिला जन-सम्पर्क इकाईयों एवं बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार सूचना सेवा के अन्तर्गत विभागीय मुख्यालय में दो संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, विभिन्न विभागों में दस उप निदेशक, तैंतीस सहायक निदेशक एवं बिहार सूचना केन्द्र नई दिल्ली में एक उप निदेशक तथा जिला जन-सम्पर्क इकाईयों में आठ सहायक निदेशक-सह-जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी अर्थात् संयुक्त निदेशक के 2(दो) पद, उप निदेशक के 13(तेरह) पद एवं सहायक निदेशक/ सहायक निदेशक-सह-जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के 41 (इकतालिस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित)" के विनियम-11 एवं 12 में संशोधन संबंधी अधिसूचना-प्रारूप की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

9. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली-2017 (विभागीय अधिसूचना सं०-4412, दिनांक-23.05.2017 के द्वारा निर्गत) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त/प्रोन्नत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है, को सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 अनुमान्य किये जाने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक आशा कार्यकर्ता एवं प्रत्येक आशा फैंसिलीटेटर को पारितोषिक के रूप में प्रति माह रू० 1000/- (एक हजार रू०) मात्र के दर से रू० 1,18,72,08,000 (एक अरब अठारह करोड़ बहत्तर लाख आठ हजार रू०) मात्र प्रतिवर्ष भुगतान की स्वीकृति।
10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

11. राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच, हार्डिंग पार्क स्थित राज्य सरकार की 4.8009 एकड़ भूमि के बदले रेलवे की पटना घाट-पटना साहिब की 18.5495 एकड़ भूमि तथा दानापुर स्टेशन के पास 9.5913 एकड़ भूमि का परस्पर आदान-प्रदान, मूल्यांकन के आधार पर करने एवं MOU हस्ताक्षरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

विधि विभाग

13. बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2019 की स्वीकृति।
13. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

14. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत, संचालन एवं रख-रखाव को पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपने से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-992 दिनांक 04.02.2019 की कंडिका-3 को संशोधित करने के संबंध में।
14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. नगरपालिका निर्वाचन के अभ्यर्थियों के खर्च की अधिसीमा बढ़ोतरी हेतु बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 100 के उप नियम (2) में संशोधन के संबंध में।
16. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

18. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13(1) को संशोधित किये जाने एवं तत्संबंधी "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019" के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।
18. स्वीकृत।